



## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

ई मेल :: edprmsc@rajasthan.gov.in एवं edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02 (353)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-10/2022/ 351

Dated:- 05/3/24

## कार्यालय आदेश

भैषज एंव औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निव्नदा सूचना क्रमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-10/2022/1236 Dated:-30.04.2022 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Ridley Life Sciences Pvt. Ltd., D-1651, DSIDC, IND. Complex, Narela Ndelhi-110040 ने बिड प्रस्तुत की थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 10.06.2022 व वित्तीय बिड दिनांक 01.08.2022 को खोली गई। जिसमें फर्म मैसर्स Ridley Life Sciences Pvt. Ltd. को अनुमोदित आईटम कोड NRD-71(Diastase, Pepsin with simethicone 15ml Drop Each ml contains Diastase (1:1200) 33.33mg, Pepsin (1:3000) 5mg & Simethicone emulsion 40mg) की पैकिंग 15 ml के लिये दर रू. 10.89+GST, NRD-477(Amlodipine oral solution 1 MG/ ML Syrup B.P.) की पैकिंग 100 ml के लिये दर रू. 12.90+GST, NRD-494 (Drotavarine HCL 20mg / 5ml Syrup/suspension) की पैकिंग 30 ml के लिये दर रू. 9.70+GST, NRD-509(Nitrofurantoin oral suspension 25mg/5ml in 100 Syrup B.P.) की पैकिंग 100 ml के लिये दर रू. 18.05+GST, NRD-514 (Piracetam 500mg/5ml Suspension/Syrup) की पैकिंग 100 ml के लिये दर रू. 33.62+GST अनुमोदनबाद RMSCL के पत्र पत्रांक 2691 दिनांक 31.08.2022, 3027 दिनांक 22.09.2022 द्वारा Letter of Acceptance जारी किये गये थे।

निगम के पत्र क्रमांक 8833 दिनांक 19.12.2022, पत्र क्रमांक 632 दिनांक 13.03. 2023 द्वारा एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्मरण पत्र लिखे गये, परन्तु फर्म ने एग्रीमेंट तो प्रस्तुत कर दिया लेकिन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की। जिसके पश्चात फर्म को पुनः कार्यालय के पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 06.06.2023 द्वारा प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु फर्म ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

Signature valid

RajKaj Ref 5908918



Digitally signed by N A Giri Designation Man Ig Director Date: 2024.0 4 :24:32 IST Reason: Appro



## मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना



फर्म द्वारा प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करने पर बिड शर्तो के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये बिड शर्त संख्या 12(a) में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder shall execute an agreement on a non-judicial stamp paper of value mentioned in the Acceptance Letter (stamp duty to be paid by the Bidder) within 15 days period from the date of Letter of acceptance / Letter of intent or within extended period by the Bid Inviting Authority, i.e. the Managing Director, Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. The Specimen form of agreement is available in Annexure-IV. Failing to submission of performance security and execution of agreement within stipulated period as above, will result in forfeiture of Bid Security Deposit & other consequential action. A bidder who is found successful in more than one product; he will be intimated through LOA / LOI to execute agreement for all the products / drugs / items. If such bidder will not execute agreement for one or more items, in such situation a penalty equal to minimum bid security i.e. Rs. 2.00 Lacs and in case of MSME Rs. 50000/shall be imposed and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years.", निवदा शर्त सं. 19(1) में उल्लेखित प्रावधान — If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the bid security deposited by him along with his bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the supplier. ((As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX). एवं डिबारिंग पालिसी के बिन्द संख्या 2.1 में उल्लेखित प्रावधान"The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 year". के अन्तर्गत अनुशासनात्मक समिति दिनांक 25.01.2024 द्वारा की गई अनुशंषा की पालना में

Signature valid

RajKaj Ref 5908918 Digitally signed by Na Giri Designation Many 1g Director Date: 2024.0 4 .24:32 IST Reason: Appro





M/s Ridley Life Sciences Pvt. Ltd. को औषधी आईटम कोड NRD-71(Diastase, Pepsin; with simethicone 15ml Drop Each ml contains Diastase (1:1200) 33.33mg, Pepsin (1:3000) 5mg & Simethicone emulsion 40mg), NRD-477(Amlodipine oral solution 1 MG/ ML Syrup B.P.), NRD-494(Drotavarine HCL 20mg / 5ml Syrup/suspension), NRD-509(Nitrofurantoin oral suspension 25mg/5ml in 100 Syrup B.P.), NRD-514(Piracetam 500mg/5ml Suspension/Syrup) (कुल 05 औषधियां) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट / डिबार करने तथा राशि रू 200000 / — (अक्षरे राशि रू दो लाख) जब्त करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आइटम के लिये उच्च दर अनुमोदन पर अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्म से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रबन्ध निदेशक आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-10/2022/ 35 | प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:—

Dated: 05/3/24

- 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।

3. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।

- 4. निर्देशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. ।
- 6. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।

7. OSD, आरएमएससीएल।

- 8. कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Ridley Life Sciences Pvt. Ltd. द्वारा जमा कराई गई बिंड सिक्योरिटी राशि रू 500000 (014662, dated 07.06.2022, HDFC BANK) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप क्रमांक 1861 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गयी है, में से पैनल्टी राशि रू 200000 (अक्षरे राशि रू दो लाख मात्र ) जब्त कर इस अनुभाग को सूचित करने का श्रम करें।
- अतिरिक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Ridley Life Sciences Pvt. Ltd., D-1651, DSIDC, IND. Complex, Narela Ndelhi-110040

11. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक आरएमएससीएल

Signature valid

RajKaj Ref 5908918

Digitally signed by Nova Giri Designation, Many 1g Director Date: 2024.0 4 .24:32 IST Reason: Appro